

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 79

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	3107.70	1491.63	4599.33	3106.60	1497.35	4603.95	2884.60	1526.05	4410.65	
पूंजी	4128.06	208.70	4336.76	3263.40	177.65	3441.05	5027.40	198.95	5226.35	
जोड़	7235.76	1700.33	8936.09	6370.00	1675.00	8045.00	7912.00	1725.00	9637.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	22.56	22.56	...	23.00	23.00	...	23.21	23.21
2. बी आर डी बी सचिवालय जोड़	3451	...	17.76	17.76	...	18.78	18.78	...	20.77	20.77
सड़क परिवहन										
3. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3055	37.70	...	37.70	35.20	...	35.20	42.00	...	42.00
4. राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोलिंग योजना/ प्रदूषण जांच यंत्र परीक्षण उपस्कर	3601	2.30	...	2.30	0.80	...	0.80	2.00	...	2.00
जोड़ सड़क परिवहन		40.00	...	40.00	36.00	...	36.00	44.00	...	44.00
5. सड़कें और पुल										
5.1 राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव	3054	...	702.77	702.77	...	733.00	733.00	...	746.79	746.79
5.2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजी परिव्यय	5054	3303.71	...	3303.71	2588.62	...	2588.62	4024.70	...	4024.70
जोड़		3303.71	702.77	4006.48	2588.62	733.00	3321.62	4024.70	746.79	4771.49
6. बी.आर.डी.बी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य										
6.1 बी.आर.डी.बी के तहत सड़क निर्माण कार्य	3601	...	571.99	571.99	...	556.35	556.35	...	582.49	582.49
6.2 बीआरडीबी के तहत निर्माण कार्य	5054	80.00	208.70	288.70	100.00	177.65	277.65	100.00	198.95	298.95
6.3 अन्य निर्माण कार्य	3054	...	76.55	76.55	...	72.22	72.22	...	72.79	72.79
जोड़		80.00	857.24	937.24	100.00	806.22	906.22	100.00	854.23	954.23
7. महत्वपूर्ण सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान	3601	17.50	...	17.50	22.50	...	22.50	15.50	...	15.50
8. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित योजनाएं										
8.01 राज्यों को अनुदान	3601	875.60	...	875.60	875.60	...	875.60	835.53	...	835.53
8.02 अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3601	95.00	...	95.00	95.00	...	95.00	92.00	...	92.00
जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	3601	-970.60	...	-970.60	-970.60	...	-970.60	-927.53	...	-927.53
8.03 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान										
8.03.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	3602	27.05	...	27.05	27.05	...	27.05	24.98	...	24.98
8.03.2 पांडिचेरी	3602	2.19	...	2.19	2.19	...	2.19	2.02	...	2.02
8.04 अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान										
जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	3602	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	3602	-34.24	...	-34.24	-34.24	...	-34.24	-31.00	...	-31.00
8.05 विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र										
8.05.1 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3054	1.83	...	1.83	1.83	...	1.83	1.69	...	1.69
8.05.2 चण्डीगढ़	3054	2.21	...	2.21	2.21	...	2.21	2.04	...	2.04
8.05.3 दादरा और नागर हवेली	3054	1.07	...	1.07	1.07	...	1.07	0.99	...	0.99
8.05.4 लक्षदीप	3054	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
8.05.5 दमन और दीव	3054	0.76	...	0.76	0.76	...	0.76	0.70	...	0.70
जोड़		5.92	...	5.92	5.92	...	5.92	5.47	...	5.47
जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	3054	-5.92	...	-5.92	-5.92	...	-5.92	-5.47	...	-5.47
अन्य परिवहन सेवाएं										
9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	5054	1993.00	...	1993.00	1993.00	...	1993.00	1848.00	...	1848.00
जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	5054	-1993.00	...	-1993.00	-1993.00	...	-1993.00	-1848.00	...	-1848.00
जोड़	7075	459.35	...	459.35	289.78	...	289.78	642.00	...	642.00
जोड़		459.35	...	459.35	289.78	...	289.78	642.00	...	642.00
10. अन्य व्यय										
10.01 विकास और योजना	3054	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	7.90	...	7.90
10.02 अन्य	3054	12.20	...	12.20	11.10	...	11.10	1.20	...	1.20
जोड़		15.20	...	15.20	13.10	...	13.10	9.10	...	9.10
जोड़ - अन्य परिवहन सेवाएं		474.55	...	474.55	302.88	...	302.88	651.10	...	651.10

सं. 79/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			(करोड़ रुपए) बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
11. केन्द्रीय सड़क निधि-अन्तरण	3054	3033.00	...	3033.00	3033.00	...	3033.00	2812.00	...	2812.00
12. पुल शुल्क के संग्रहण की लागत राज्यों को देय निधियाँ	3054	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
घटाइए-वसूलियाँ	3054	...	-1.50	-1.50	...	-1.50	-1.50	...	-1.50	-1.50
घटाइए-वसूलियाँ	निवल
13. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई से वित्त पोषित योजनाएं										
पुल शुल्क निधि	5054	86.00	...	86.00	86.00	...	86.00	90.00	...	90.00
घटाइए-वसूलियाँ	5054	-86.00	...	-86.00	-86.00	...	-86.00	-90.00	...	-90.00
घटाइए-वसूलियाँ	निवल
14. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई पुल शुल्क निधि अन्तरण	3054	...	100.00	100.00	...	94.00	94.00	...	80.00	80.00
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
	4552	285.00	...	285.00	285.00	...	285.00	260.70	...	260.70
जोड़		287.00	...	287.00	287.00	...	287.00	264.70	...	264.70
कुल जोड़		7235.76	1700.33	8936.09	6370.00	1675.00	8045.00	7912.00	1725.00	9637.00
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जोड़	13054	2452.35	4000.00	6452.35	2282.78	1839.00	4121.78	2490.00	3300.00	5790.00
ग. आयोजना परिव्यय		2452.35	4000.00	6452.35	2282.78	1839.00	4121.78	2490.00	3300.00	5790.00
1. सड़क और पुल	13054	6043.92*	4000.00	10043.92	5178.16*	1839.00	7017.16	6779.30	3300.00	10079.30
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य आयोजना	22552	287.00	...	287.00	287.00	...	287.00	264.70	...	264.70
1. सड़क और पुल संघ राज्य क्षेत्र आयोजना	43601	875.60	...	875.60	875.60	...	875.60	835.53	...	835.53
विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	43602	27.05	...	27.05	27.05	...	27.05	24.98	...	24.98
2. पांडिचेरी	43602	2.19	...	2.19	2.19	...	2.19	2.02	...	2.02
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	43602	5.47	...	5.47
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र आयोजना		29.24	...	29.24	29.24	...	29.24	32.47	...	32.47
जोड़		7235.76	4000.00	11235.76	6370.00	1839.00	8209.00	7912.00	3300.00	11212.00

*इसमें विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5.92 करोड़ रुपए शामिल है।

1. यह व्यवस्था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. यह व्यवस्था सीमा सड़क संगठन बोर्ड के सचिवालय पर होने वाले व्यय के लिए है।

3. यह व्यवस्था मुख्यतः अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए हैं जिसमें दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। इसमें पीड़ितों के लिए प्राथमिक उपचार तथा यातायात की बहाली हेतु क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाना भी शामिल है।

4. यह व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा प्रदूषण जांच उपकरणों की प्राप्ति हेतु निधि की व्यवस्था करने से सम्बन्धित है।

5.1, यह व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर होने वाले व्यय हेतु की गई है। ये निर्माण कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड की जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स द्वारा भी पूरे किए जाते हैं।

5.2 इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के व्यय के लिए व्यवस्था है। निर्माणकार्यों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसमें बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियाँ भी शामिल हैं।

6 और 7. इन प्रावधानों में सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी.आर.डी.बी.) द्वारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में कतिपय सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को अनुदान सहायता शामिल है। साथ ही बी.आर.डी.बी. को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए भी है। इस प्रावधान में बी.आर.डी.बी. तथा मंत्रालय के सड़क विंग द्वारा विकसित कतिपय सामरिक महत्व की सड़कों के लिए निधियों की व्यवस्था करना भी शामिल हैं।

8,9 और 11. केंद्रीय सड़क निधि को दिसम्बर, 2000 में अधिनियमित केंद्रीय सड़क अधिनियम, 2000 के अधीन पुनर्गठित किया गया है। इसमें किए गए प्रावधान का उपयोग बेहतर आवागमन सुविधाओं के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों की अनुमोदित योजनाओं तथा साथ ही अंतरराज्यीय तथा आर्थिक महत्व की चयनित सड़कों के विकास के लिए वित्तपोषण हेतु किया जाएगा। ये अनुमान भारत के लोक खाते में केंद्रीय सड़क निधि के अधीन लेन-देनों से संबंधित है। यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) को दिए गए निवेश के लिए भी है। इसके लिए व्यय की पूर्ति केंद्रीय सड़क निधि से आहरण द्वारा की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण की 20 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में संगठनों को मुहैया करायी जाएगी।

10. इसमें सड़क विकास पर अनुसंधान एवं विकास तथा आयोजना अध्ययन, भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान के लिए समूह निधि बनाने पर होने वाला व्यय शामिल है।

12,13 और 14. यह अनुमान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल फीस निधि, जो भारत के लोक खाते में है, के अधीन किए गए लेन-देनों से संबंधित है। इस निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। इस प्रावधान में यंत्रचालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतिपय स्थायी पुलों के प्रयोग के लिए लगाई गई फीस के संग्रहण लागत के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान भी शामिल है।

15. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।